

प्रारूप 'ख'

[देखिए नियम 8 (2) और (3)]

कार्यालय, विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार.....)

संख्या

दिनांक.. 23-11-2006

संपरिवर्तन आदेश

श्री **सुरजानी**..... ग्राम **2450एससी** तहसील **बडसाना** के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8 (2) / 8 (3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गयी हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पितर/पति के नाम सहित तथा **सुरजानी पुन सुन्दर राम**
भूत पत्नी : **जाति मीणा सा 02450एससी**
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : **अनुसूचित जन जाति**
3. संपरिवर्तित भूमि का क्षेत्र : **2450एससी का मुंका 84/30 का प्लॉट नं० 11**
(क) ग्राम, ग्राम पंचायत/तहसील का नाम **2450एससी - 190 = 1900 का मीटर**
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) : **84/30 = 2.907 हे०**
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में) : **प्लॉट नम्बर 11 का 0.253 में से 0.900 0.190 हेक्टर**
नियमों - अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का दर्जा हए, राजस्व नक्शे के सुरंगित भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : **कृषि से अकृषि प्रयोजन आवासीय**

5. संदेय प्रीमियम की दर : **1.1 रु० प्रति वर्ग मीटर**
6. चालान की सं. तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम : **763-764/23-11-06=1901**
7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शांति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : **763-64 दिनांक 23-11-06=1900**
8. चालान की सं. तथा तारीख सहित व्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम :
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है : **हाँ**
10. अन्य विशिष्टियाँ, यदि कोई हों : **नहीं**
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-
 - (i) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा,
 - (ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपुष्ट हो जायेगा,
 - (iii) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा,
 - (iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि-मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर

तहसीलदार (राजस्व) बडसाना।
जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी (ग्रामीण)

(जिला कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

तारीख 23-11-2006

संख्या 3347 से 3350

प्रतिनिधि :

1. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर
2. ग्राम पंचायत **2450एससी**
3. आवेदक श्री **सुरजानी पुन श्रीसुन्दर राम सा 0 2450एससी**

4. **पटवारी हुंका, प्रखण्ड 10 जारो, को वास्ते राजस्व रिकार्ड में उक्त दरमजद हेतु प्रेषित है**

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तहसीलदार (राजस्व) बडसाना।